हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

क्रमांकः हि०शि०बो०/19/संचालन-I/2022-42411 दिनांकः- 07-01-2022

"अल्पकालिक निविदा सूचना"

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला कार्यालय में बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित व अन्य सामान को गाड़ियों से उतारने तथा सम्बन्धित शाखाओं तक पहुंचाने व समय-2 पर परीक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री को बोर्ड कार्यालय से बाहर भेजने तथा गाड़ियो में चढ़ाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं मोहर बन्द लिफाफे जिसके ऊपर **"सामान ढुलाई हेतु निविदा"** अंकित हो एवं सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को संबोधित हो, दिनांक 31.01.2022 अपराह्न 1.00 बजे तक बोर्ड कार्यालय की प्राप्ति शाखा में प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जाएंगी। निविदा हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस को दिनांक 31.01.2022 प्रातः 11:00 बजे तक बोर्ड कार्यालय में ₹500/- का शुल्क अदा करके प्राप्त किए जा सकते है। निविदा का प्रारूप बोर्ड की वैबसाईट www.hpbose.org से भी डाउनलोड़ कर प्रयोग किया जा सकता है। इस दशा में निविदा शुल्क हेतु ₹500/- का डिमांड ड्राफ्ट, जो सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा के साथ धरोहर राशी के रुप में ₹25,000/- की एफ०डी०आर० जो सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के पक्ष में बंधक हो, संलग्न होनी चाहिए।

सचिव

अनुबन्ध-"क"

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213।

बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री के पैकेट/बण्डल/बॉक्स व अन्य कार्यों से सम्बन्धित सामग्री को गाड़ियों से उतारने एवं कमरे/हाल में ले जाने, कमरे/हाल से ले जाने एवं गाड़ी में चढ़ाने, एक भवन/कमरे/हाल से दूसरे भवन/कमरे/हाल तक ले जाने/लाने से सम्बन्धित मजदूरी के कार्य की भार सहित वार्षिक अनुमानित संख्याः-

1-3 Kg के पैकेटों/बण्डलों/पेटियों/सामग्री की संख्या	**3-5 Kg** के पैकेटों/बण्डलों/पेटियों/सामग्री की संख्या	**5-10 Kg** के पैकेटों/बण्डलों/पेटियों/सामग्री की संख्या	**10-15 Kg** के पैकेटों/बण्डलों/पेटियों/सामग्री की संख्या	अलमारी	तेल ड्रम (200 Ltr.)
37541	51930	16397	70910	Nil	Nil
Grand Total = 1,76,778					

उपरोक्त वर्णित योग में 10% की भिन्नता संभावित है।

परीक्षाओं के कार्य के दौरान संचालन I, II, विभागीय परीक्षा शाखा व गोपनीय शाखा में परीक्षा सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कमरे/हाल से दूसरे कमरे/हाल में ले जाने व लाने के लिए दैनिक आधार पर कार्य समाप्ति तक मजदूरों की आवश्यकता रहती है जिसके लिए ठेकेदार को पूर्व सूचना पर आवश्यकता अनुसार मजूदर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

कुर्सी, मेज या अलमारी व अन्य सामान इत्यादि को एक कमरे से दूसरे कमरे में लेबर द्वारा पहुंचाया या लाया जाता है, जोकि पूरे वर्ष कार्य चलता रहता है। इसलिए दो लेबर के कर्मचारी स्थाई तौर पर बोर्ड कार्यालय में ठेकेदार द्वारा रखना अनिवार्य होगा ताकि छोटा-मोटा दैनिक कार्य चलता रहे।

अनुबन्ध-"ख"

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213।

परीक्षाओं से संबन्धित सामग्री एवं अन्य सामान की ढुलाई हेतु न्यूनतम् दर

कार्य का विवरण	वार्षिक न्यूनतम दर (एक-मुश्त राशि अंकों में)	वार्षिक न्यूनतम दर (एक-मुश्त राशि शब्दों में)
बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री के पैकेट/बण्डल/बॉक्स व अन्य कार्यों से सम्बन्धित सामग्री को गाड़ियों से उतारने एवं कमरे/हाल में ले जाने, कमरे/हाल से ले जाने एवं गाड़ी में चढ़ाने, एक भवन/कमरे/हाल से दूसरे भवन/कमरे/हाल तक ले जाने/लाने, परीक्षा सामग्री तथा अन्य सामग्री (फर्नीचर इत्यादि) की शिफ्टिंग से सम्बन्धित मजदूरी का कार्य		

निविदादाता के हस्ताक्षर व पूर्ण पता

____

____

____

मोबाइल न०________________

संलग्न धरोहर राशि ₹25,000/-

FDR No.______________

Dated:______________

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213.

क्रमांकः हि०शि०बो०/19/संचालन-I/2022- 42412 दिनांकः- 07-01-2022

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला कार्यालय में विभिन्न सामग्री, जिसका उल्लेख अनुबन्ध-क में किया गया है, की ढुलाई हेतु निविदा के नियम एवं शर्तेः-

1. पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाएं दिनांक 31-01-2022 अपराह्न 1:00 बजे तक सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय की प्राप्ति शाखा में प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सांय 3:00 बजे इच्छुक निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपास्थिति में गठित कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी। डाक द्वारा भेजी गई निविदायें निर्धारित समयावधि तक प्राप्त न होने की स्थिति में बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

2. निविदा के साथ ₹25,000/- की धरोहर राशि एफ०डी०आर० के माध्यम से जो सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के पक्ष में वंधक हो संलग्न होनी चाहिए। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाएं रदद् समझी जाएंगी। जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत नहीं होगी, उसकी धरोहर राशि वापिस कर दी जाएगी। सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत धरोहर राशि परफोर्मेंस गारंटी में परिवर्तित की जाएगी।

3. सफल निविदादाता द्वारा कुल स्वीकृत राशि के 10% के समतुल्य राशि सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम बंधक एफ०डी०आर० के माध्यम से परफोरमेंन्स गारंटी के रूप में बोर्ड द्वारा कार्य आवंटित करने से पूर्व जमा करवानी होगी जो कम से कम एक वर्ष के लिए वैध हो।

4. परीक्षाओं के कार्य के दौरान संचालन I, II, विभागीय परीक्षा शाखा व गोपनीय शाखा में परीक्षा सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कमरे/हाल से दूसरे कमरे/हाल में ले जाने व लाने के लिए दैनिक आधार पर कार्य समाप्ति तक मजदूरों की आवश्यकता रहती है जिसके लिए ठेकेदार को पूर्व सूचना पर आवश्यकता अनुसार मजूदर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

5. चयनित ठेकेदार को दो (2) लेबर के कर्मचारी स्थाई तौर पर नियुक्त करने होंगे, जो प्रत्येक कार्य दिवस को दिन-प्रतिदिन बोर्ड कार्यालय की आवश्यकतानुसार अपनी सेवाएं देंगे। कार्य आवश्यकतानुसार अन्य दिन भी लेबर के कर्मचारियों को पूर्व सूचना पर अपनी उपस्थिति देनी होगी।

6. प्रस्तावित कार्य का आवंटन अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक साल तक मान्य होगा। कार्य के संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में आपसी सहमति से कार्य अनुबंध में आगामी दो वर्ष के लिए वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है।

7. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला माननीय अध्यक्ष हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा तथा अध्यक्ष महोदय का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के उपलब्ध न होने की स्थिति में अपेक्षित कार्य के निष्पादन हेतु यदि बोर्ड द्वारा अलग व्यवस्था करनी पड़ती है तो इस सम्बन्ध में दी गई मजदूरी की दोगुना राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

9. यदि ठेकेदार उसको सौंपे गए कार्य को करने से जानबूझ कर इन्कार करता है तो कार्यालय को हुए नुकसान की भरपाई के इलावा उसे दण्डस्वरूप ₹1000/- प्रतिदिन के हिसाब से बोर्ड को अदा करना होगा।

10. अगर किसी समय सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड यह महसूस करे कि ठेकेदार का काम सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत की राशि का कुछ हिस्सा या पूरी राशि जब्त की जा सकती है। ऐसी अवस्था में ठेकेदार को मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।

11. सम्बन्धित शाखा द्वारा सन्तोषजनक कार्य-निष्पादन सम्बन्धी रिपोर्ट की प्राप्ति पर स्वीकृत एक-मुश्त राशि की अदायगी समान 12 किश्तों में प्रत्येक मास की 10 तारीख तक कर दी जाएगी।

12. देय राशि से नियमानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० की कटौती की जाएगी।

13. ठेकेदार द्वारा परीक्षा सामाग्री को निर्देशानुसार गंतव्य स्थान तक लाना व ले जाना होगा परन्तु परीक्षा सामाग्री को गाड़ी से किसी भी कमरे/ हाल तक ले जाने व कमरे/ हाल से गाड़ी तक ले जाने व चढ़ाने के कार्य की एक बार ही गणना की जाएगी। कार्य का अनुमानित विवरण संलग्न अनुबन्ध 'क' पर दिया गया है।

14. सटीक निविदा दरें प्रस्तुत करने हेतु यदि आवश्यक हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता बोर्ड अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में बोर्ड परिसर का मुआयना कर सकता है। विषयांकित कार्य हेतु एक-मुश्त वार्षिक न्यूनतम दरें सलंग्न अनुबन्ध "ख" पर अंकों व शब्दों में भरकर प्रस्तुत की जायें।

15. अधोहस्ताक्षरी के पास सभी निविदाएं या किसी निविदाएं या किसी निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

सचिव